रजिस्टर्ड नं० एल०-33-एस० एम० 13-14/97.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 23 जुलाई, 1997/1 श्रावण, 1919

हिमाचल प्रदेश सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 30 अप्रैल, 1997

संख्या टी० पी० टी० सी० (2) 4/94 भाग-14.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग में वरिष्ठ मोटरयान निरीक्षक (वर्ग-III अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-'अ' के अनुसार भर्ती एवं प्रोन्नति नियम बनाते हैं अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग वरिष्ठ मोटरयान निरीक्षक, (वर्ग-III, अराजपत्रित) पद भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1997 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

आदेश द्वारा,

सी० पी० सुजाया,
वित्तायुक्त एवं सचिव ।

उपाबन्ध "अ"

परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश में वरिष्ठ मोटरयान निरीक्षक (अराजपत्रित वर्ग-III) (अलिपिक वर्गीय सेवायें) के पद के लिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियम

1	पद का नाम	वरिष्ठ मोटरयान निरीक्षक ।
2.	पदों की संख्या	3 (तीन)
3.	वर्गीकरण	वर्ग-III (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवायें ।
4	वेतनमान (विस्तृत रूप में अंकित करें) ।	रुपये 1800-50-2000-60-2060-70-2550-75-3000-100-3200+200 विशेष वेतन ।
5.	चयन पद अथवा अचयन पद	अचयन पद ।
6.	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु ।	18 से 35 वर्ष :

परन्तु सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा तदर्थ या संविदा पर नियुक्त किये गये पहले से सरकार की सेवा में नियुक्त व्यक्तियों सहित अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण, विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती

	में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारीवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किये गये थे/किये गये हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किये गये हैं/किये गये थे । (1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को यथास्थिति आवेदन आमन्त्रित करने के लिए विज्ञापित किया जाता है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया जाता है । (2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेगी ।
7. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।	(क) अनिवार्य अर्हताएं : (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आटोमोबोईल इंजीनीयर का डिप्लोमा प्राप्त किया हो । (ii) आटोमोबोईल कार्यशाला में 2 वर्ष का अनुभव हो । (ख) वांछनीय अर्हतायें : (i) भारी मोटर यान चलाने का लाईसैन्स रखता हो । (ii) हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।
8. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	आयु : लागू नहीं शैक्षिक अर्हताएं : लागू नहीं
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें ।
10. भर्ती की पद्धति—भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	(i) 75 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ; और (ii) 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।
11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जायेगा ।	मोटरयान निरीक्षकों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका ग्रेड में पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो या 31-3-91 तक की गई लगातार तदर्थ सेवा को सम्मिलित करके उक्त नियमित सेवाकाल हो । (1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद में 31-3-91 तक की गई तदर्थ सेवा,